

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर



क. एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3,
प्रति

नवा रायपुर, दिनांक 03/05/2023

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़।

विषय :- नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 20-5/2022/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.09.2022

संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश दिनांक 19.09.2022 को सभी विभागों को पालन के लिए सूचित किया गया था, उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य को नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किये जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की है।


2/ इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 01.05.2023 का पैरा-4, 5 एवं 6 निम्नानुसार है:-

4. We, therefore, permit the State to go ahead with the selection process and make appointments and promotions.
5. However, it is made clear that the same shall be subject to the result of the petition.
6. All appointment and promotion orders shall specifically mentions that such appointments and promotions are subject to the final outcome of the present proceedings.

3/ सभी नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में यह विशेष रूप से उल्लेखित किया जाये कि, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होंगी।

उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(एस.के.सिंह)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कमरा...2

/2/

पृ.क. एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 03/05/2023

- (1) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
- (2) मान.राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- (3) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मान.मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (4)